न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 74 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

श्री मठ महादेव चन्द्र दीपक जरिये महन्त कैलाशपुरी गुरू धन्नापुरी जी गुसाई, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरलाल पिता जगन्नाथ जी पुरोहित, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती विद्या देवी पत्नी जीवन जी उपाध्याय, जाति ब्राहमण, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजेन्द्र पिता हरिसिंह जी राजपूत, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. भगवतसिंह पिता अर्जुनसिंह जी राजपूत, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. शैलेन्द्रसिंह पिता भोपालसिंह जी राजपूत, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. विरेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह जी राजपूत, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. तहसीलदार, जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
दिनांक 18.09.2017 प्र.सं. 29/2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री राजू सिंह रावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री वी.एस. कर्णावत अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2
3– श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 5

———::———

निर्णय **दिनांक 30–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा देवगढ़ में मालीयोकावास में मठ महादेव चन्द्रदीपक जिसमें महादेव का मंदिर स्थित है। उक्त मठ में मूर्ति विराजमान महादेवजी ना.बा. के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 3706 रकबा 6 बिस्वा, 3707 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 2708 रकबा 1 बिस्वा, 3709 रकबा 2 बिस्वा मठ रो कुडो, 3710 रचका वालो खेत रकबा 17 बिस्वा, 3711 छोटी पाटी रकबा 2 बीघा, 3712 रकबा 11 बिस्वा व 3713 थली रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि होकर देवस्थान मठ मूर्ति महादेवजी के स्वामित्य एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमियां मठाधीश महन्त 1008 श्री सेवापुरी गुरू गुमानपुरी जी गुसाई को संवत् 1933 में ठिकाना देवगढ़ के तत्कालीन जागीरदार महारावत श्री किशनसिंह जी ने 10 बीघा भूमि मठ के नाम दान देकर ताम्रपत्र प्रदान किया तथा उक्त भूमि का लगान माफ किया, तब से उक्त भूमि देवस्थान मठ मूर्ति महादेवजी के स्वामित्व की भूमि है। उक्त मठ गुरू प्रथा अनुसार पूजा अर्जना गुरू और चेलों द्वारा होती रही है। उक्त मठ महादेवजी की भूमि को मठाधीश (गुरू) को अन्यत्र ट्रान्सफर करने का अधिकार नहीं है, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से मठ के संचालन की वसीयत पत्र के आधार पर चेला महन्त धन्नापुरी के नाम कर दी जबकि उक्त वसीयत मठ की जमीन की नहीं होकर मठ के संचालन की थी। उक्त आराजियात पूर्व मठाधीश महन्त धन्नापुरी गुरू चतरपुरी गुसाई के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि मठ महादेव के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी। वक्त सेटलमेन्ट उक्त भूमि का रकबा 10 बीघा से घटाकर 8 बीघा 16 बिस्वा कर दिया गया, जो 1 बीघा 4 बिस्वा कम दर्ज की गयी है।

उक्त आराजी में से आराजी नंबर 3710 रकबा 17 बिस्वा, 3711 रकबा 2 बीघा, 3712 रकबा 11 बिस्वा, 3713 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि पूर्व मठाधीश धन्नापुरी गुरू चतरपुरी जी द्वारा दिनांक 08–02–1966 को तादादी 3500/– रूपये में हरिसिंह पिता रामसिंह को 1/2 व अर्जुनसिंह पिता रामसिंह को 1/2 हिस्सा विक्रय कर

दी गयी। व चाह नंबर 3709 रकबा 2 बिस्वा में से धन्नापुरी ने 1/2 हिस्सा हरिसिंह व अर्जुनसिंह तथा 1/2 हिस्सा बदस्तूर रखा, जो नामान्तरकरण संख्या 689 दिनांक 22–08–1966 से हरिसिंह व अर्जुनसिंह के नाम दर्ज हुई तथा हरिसिंह व अर्जुनसिंह की विरासत से भूमियों राजेन्द्रसिंह, भगवानसिंह, शैलेन्द्रसिंह के खाते दर्ज हुई। बाद में हरिसिंह व अर्जुनसिंह के वारिसान द्वारा दिनांक 17–01–2011 को उक्त हिस्से को प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती विद्यादेवी पत्नी जीवनसिंह उपाध्यान को विक्रय कर दिया गया, जो नामान्तरकरण संख्या 4018 दिनांक 08–02–2012 से विद्यादेवी के खाते दर्ज हुई। धन्नापुरी द्वारा दिनांक 12–05–1979 को 3500/– रूपये में खसरा नंबर 3706, 3707 में से 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 3708 रकबा 1 बिस्वा ओडी का पूरा हिस्सा, खसरा नंबर 3709 चाह का 1/8 हिस्सा भंवरलाल पिता जगन्नाथ पुरोहित प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया गया। धन्नापुरी ने दिनांक 26–11–1980 को खसरा नंबर 3706 रकबा 1 बिस्वा व 3707 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में से अपना शेष 1/4 हिस्सा हस्तीमल पिता कन्नीराम जी महाजन को विक्रय कर दिया, बाद में हस्तीमल द्वारा दिनांक 12–06–1989 को आराजी नंबर 3706 रकबा 6 बिस्वा, 3707 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा का 1/4 हिस्सा व चाह नंबर 3709 का 1/8 हिस्सा भंवरलाल पिता जगन्नाथ को विक्रय कर दिया गया, जिससे मठ महादेव की सारी आराजी अब प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल व प्रतिवादी संख्या 2 विद्यादेवी के खाते दर्ज हो गयी तथा चाह नंबर 3709 में प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/2 हिस्सा बकाया रह गया। उक्त समस्त आराजियात ठिकाना देवगढ़ द्वारा मठ महादेव के नाम अर्पित कर ताम्रपत्र प्रदान किया गया, जिससे उक्त भूमियां मठ महादेवजी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है, जिससे पुजारी को अन्यत्र ट्रान्सफर करने का अधिकार नहीं था।

पूर्व मठाधीश धन्नापुरी का देहावसान दिनांक 19–05–1996 को हो जाने बे बाद चेला प्रार्थी बना, जिसे उक्त बेचान की जानकारी नहीं थी एवं 6 वर्ष पूर्व उक्त जानकारी प्राप्त हुई, जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः कस्बा देवगढ़ की उपरोक्त आराजी नंबर 3706 रकबा 6 बिस्वा, 3707 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 2708 रकबा 1 बिस्वा, 3709 रकबा 2 बिस्वा मठ रो कुडो, 3710 रचका वालो खेत रकबा 17 बिस्वा, 3711 छोटी पाटी

रकबा 2 बीघा, 3712 रकबा 11 बिस्वा व 3713 थली रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि का मठ महादेव को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण से कब्जा वादी को दिलाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा अलग–अलग खण्डन के जवाबदावे प्रस्तुत किये गये तथा धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी के पिता धन्नापुरी द्वारा विपक्षीगण भंवरलाल के विरूद्ध एक वाद उप जिलाधीश भीम के यहां इन्हीं आराजियात बाबत प्रस्तुत किया था जो निर्णित हो चुका है, जिसके मुकदमा नंबर 88/22 व अपील संख्या 277/85 द्वारा निर्णित हो चुकी है, जिसकी अपील भी आर.ए.ए. उदयपुर में निर्णित हो चुकी है। अतः अब पुनः वादी के पुत्र द्वारा इन्हीं आराजियात बाबत वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दोनों प्रकरणों की विषय वस्तु अलग–अलग हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति मूर्ति मठ महादेव जो एक नाबालिग व्यक्ति होकर उसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति का प्रोपर्टी के बारे में उसके विरूद्ध कराया गया निर्णय नाबालिग पर लागू नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–09–2017 से प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 11 जा.दी. सपठित धारा 151 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री वी. एस. कर्णावत तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से वकील श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस

सुनी गयी। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पर लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से धारा 229 रा.का.अ. एवं आदेश 47 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है, किन्तु मयाद कण्डोन हेतु कोई आवेदन अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अपील पोषणीय नहीं है फिर भी आप न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–05–2019 से मात्र 4 दिन का विलम्ब मानते हुए अपील अन्दर मयाद मानकर विलम्ब को कण्डोन किये जाने का आदेश दिया है, जबकि विलम्ब चाहे एक दिन का हो या लम्बे समय का, माफी हेतु पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं होने से देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 22–05–2019 पर पुनर्विचार किया जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा ने अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए अपने आदेश दिनांक 22–05–2019 से अपीलान्ट मंदिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग है, उसके हितों की रक्षार्थ विलम्ब को कण्डोन किया है, जो विधि सम्मत है। न्यायालय हाजा का उक्त आदेश रिव्यू की श्रेणी में नहीं आता है तथा रिव्यू का स्कोप सीमित होता है। अतः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से धारा 229 रा.का.अ. एवं आदेश 47 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है, गुणावगुण पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि वादग्रस्त भूमि ठिकाना देवगढ़ के तत्कालीन जागीरदार द्वारा मठ महादेव को दान दी गयी जिसका ताम्रपत्र जारी किया गया इस हेतु पूर्व पुजारी ने लिखित टिप्पणी की है कि यह सम्पत्ति मठ महादेव जी की है तथा इसे पुजारी को खुर्द–बुर्द करने का अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज कर दिया, जबकि मुकदमा नंबर 88/81 व अपील संख्या 277/85 का दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का था और उसमें मठ महादेव पक्षकार भी नहीं था,

और यह दावा 88, 89, 188 एवं 183 का है, जो न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। प्रतिवादीगण के खण्डन का जवाबदावा पत्रावली के रिकार्ड पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर उस पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 3 से 6, प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से अलग–अलग खण्डन के जवाबदावे प्रस्तुत किये गये, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को वाद एवं जवाबदावों के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 11 जा.दी. सपठित धारा 151 के तहत वादी का वाद रेसज्यूडीकेटा से बाधित मानकर वाद खारिज कर दिया है, जबकि मुकदमा नंबर 88/81 व अपील संख्या 277/85 का दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का था और उसमें मठ महादेव पक्षकार भी नहीं था, और यह दावा 88, 89, 188 एवं 183 का है, जो न्यायालय के श्रवणाधिकार का है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय व विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि वादी/अपीलान्ट मठ महादेव होकर शाश्वत नाबालिग है, जिसके हितों की रक्षा करना सरकार का भी दायित्व है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 11 जा.दी. सपठित धारा 151 के तहत खारिज नहीं किया जाकर प्रकरण में उपलब्ध प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। उक्त आराजियात दस्तावेज ताम्रपत्र, मठ संचालक के वसीयत पत्र अनुसार प्रथम दृष्टया मठ महोदव मंदिर की ही होना प्रतीत होती हैं, जिसे पुजारी अर्थात धन्नापुरी को बेचान करने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्तानुसार विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विवादित भूमि मठ महादेव मंदिर की ही होना साबित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद रेसज्यूटीकेटा से बाधित मानकर खारिज कर दिया है जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि मुकदमा नंबर 88/81 व अपील संख्या 277/85 का दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का था और उसमें मठ महादेव पक्षकार भी नहीं था, और यह दावा 88, 89, 188 एवं 183 का है, जो न्यायालय के श्रवणाधिकार का है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय व विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–09–2017 अपास्त की जाती है तथा मूलवाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ ही पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उपलब्ध प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर उन पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तनकीवार विवेचन करें। चूंकि विवादित भूमि मठ महादेव मंदिर की होना प्रथम दृष्टया साबित है, किन्तु देवस्थान विभाग इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है, ऐसी स्थिति में देवस्थान विभाग को सूचित किया जाता है वे शाश्वत नाबालिग मठ महादेव मंदिर की भूमि के सुरक्षार्थ अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक पक्षकार बनकर अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–03–2020 को उपस्थित होवें तथा अन्य पक्षकारान भी उक्त दिनांक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्री मठ महादेव चन्द्र दीपक जरिये महन्त कैलाशपुरी गुरू धन्नापुरी जी गुसाई, निवासी देवगढ़, तह. देवगढ़ बनाम **भंवरलाल पिता जगन्नाथ जी पुरोहित निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**74 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **देवगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....18**.....माह.....**09**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजूसिंह रावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री वी.एस.कर्णावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.13 12:12:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: